बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या–11(नि०)/वि – 56/2026 921 / पटना, दिनांक– 20-8-2026

बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली, 2026 के नियम 11 (संशोधन की शक्ति) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन को पारदर्शी न्यायसंगत एवं संरचित बनाने हेतु **बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली, 2026** में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ –**

(1) यह नियमावली **"बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण (संशोधन) नियमावली, 2026"** कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2.1 **"बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली, 2026"** के नियम 2 के उप नियम (vii) के बाद निम्नलिखित नए उप नियम (vii)(क) अन्तःस्थापित किया जायेगा।

(vii)(क) **"पुस्तकालयाध्यक्ष"**: बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के तहत आयोजित सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण एवं विद्यालय में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष।

2.2 **"बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली, 2026"** के नियम 2 के उप नियम (xii)(क) के बाद निम्नलिखित नए उप नियम (xii)(कक) अन्तःस्थापित किया जायेगा।

(xii)(कक) **"पुस्तकालयाध्यक्ष का नियुक्ति प्राधिकार"**: बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के तहत आयोजित सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण

एवं विद्यालय में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष के स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी सक्षम नियुक्ति प्राधिकार होंगे।

2.3 **"बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली, 2026"** के नियम 2 के उप नियम (xxv) के बाद निम्नलिखित नए उप नियम (xxvi) अन्तःस्थापित किया जायेगा।

(xxvi) **"पुस्तकालयाध्यक्ष पद की विशिष्टता"**: चूँकि माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद गैर–विषयवार तथा एकल/सीमित पद की श्रेणी में आता है, अतः स्थानांतरण के नियम विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष की उपलब्धता एवं संचालन के अनुरूप लागू होंगे।

3. **"बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली, 2026"** के नियम 3 के उप नियम 3(क)(vi) के बाद निम्नलिखित नए उप नियम 3(क)(vii) पुस्तकालयाध्यक्ष हेतु विशेष सिद्धांत एवं प्रक्रिया अन्तःस्थापित किया जायेगा।

3(क)(vii) **पुस्तकालयाध्यक्षों के स्थानान्तरण हेतु विशेष सिद्धांत एवं प्रक्रिया** :–

(i) **पोर्टल–आधारित प्रक्रिया** : पुस्तकालयाध्यक्षों का स्थानान्तरण (सामान्य, ऐच्छिक, पारस्परिक एवं प्रशासनिक) केवल विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑन–लाईन निष्पादित किए जाएँगे।

(ii) **वरीयता अंक प्रणाली** : एक ही विद्यालय या पद हेतु एक से अधिक पुस्तकालयाध्यक्षों के आवेदन की स्थिति में प्राथमिकता का निर्धारण **बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली, 2026** के **अनुलग्नक–1** (अंक–आधारित वरीयता प्रणाली) में वर्णित सेवा अंक, पदस्थापन स्थल अंक तथा वरीयता अंक (गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, महिला/एकल अभिभावक आदि) के आधार पर किया जाएगा।

(iii) **पारस्परिक स्थानान्तरण** : दो पुस्तकालयाध्यक्ष संयुक्त सहमति के आधार पर विभागीय पोर्टल के माध्यम से पारस्परिक स्थानान्तरण का लाभ ले सकेंगे।

(iv) **समय–सारणी एवं विस्तृत मार्गदर्शिका (SOP) (संशोधित प्रावधान)** : स्थानान्तरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित समय सारणी/तालिका (Schedule) के अनुसार निष्पादित की जायेगी। स्थानान्तरण प्रक्रिया के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन हेतु विभाग द्वारा अलग से विस्तृत दिशा–निर्देश एवं कार्य प्रणाली जारी की जायेगी।

4. **"बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली, 2026"** के नियम 4(क) के उप नियम (iv) के बाद निम्नलिखित नए उप नियम 4(क)(v) पुस्तकालयाध्यक्ष के गृह क्षेत्र एवं पदस्थापन संबंधी नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा।

4(क)(v) **पुस्तकालयाध्यक्ष के गृह क्षेत्र एवं पदस्थापन संबंधी नियम :–**

(i) **महिला पुस्तकालयाध्यक्ष** : महिला पुस्तकालयध्यक्षों का पदस्थापन उनके अनुरोध पर उनके गृह प्रखंड के अंतर्गत गृह पंचायत को छोड़कर रिक्ति एवं विद्यालय आवश्यकता के अधीन किया जाएगा। (गंभीर बीमारी/उच्च दिव्यांगता के मामलों में सक्षम प्राधिकार छूट दे सकेगा)।

(ii) **पुरूष पुस्तकालयाध्यक्ष** : पुरूष पुस्तकालयध्यक्षों का पदस्थापन उनके अनुरोध पर उनके गृह जिला के अंतर्गत गृह प्रखण्ड को छोड़कर अथवा अन्य जिला में रिक्ति के आलोक में किया जाएगा।

5. **"बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली, 2026"** के नियम 5 के उप नियम (xv) के बाद निम्नलिखित नए उप नियम 5(xvi) पुस्तकालयाध्यक्ष का प्रशासनिक एवं अनुशासनिक स्थानांतरण का अन्तःस्थापित किया जायेगा।

5(xvi) **प्रशासनिक एवं अनुशासनिक स्थानांतरण** – किसी पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा वित्तीय अनियमितता, अनुशासनहीनता, पठन–पाठन/पुस्तकालय संचालन में लापरवाही अथवा अमर्यादित व्यवहार की शिकायत प्रमाणित होने पर, जिला पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा पर प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। इसके पूर्व संबंधित पुस्तकालयाध्यक्ष को 07 कार्य दिवसों के अंदर अपना पक्ष रखने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया जाएगा।

6. **"बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली, 2026"** के नियम 6 के उप नियम (iv)(x) के बाद निम्नलिखित नए उप नियम 6(iv)(xi) अन्तःस्थापित किया जायेगा।

6(iv)(xi) जिला शिक्षा पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थापना समिति के बैठक के पूर्व विद्यालयवार स्वीकृत एवं कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों की अद्यतन जानकारी तथा रिक्ति की स्थिति विभागीय पोर्टल पर अद्यतन कर दी गयी हो।

7. **"बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली, 2026"** के नियम 8 अपील के उप नियम "च" के बाद निम्नलिखित नए उप नियम 8(छ) अन्तःस्थापित किया जायेगा।

8(छ) अपील एवं शिकायत निवारण –

(i) जिला स्थापना समिति के निर्णय के विरूद्ध व्यथित पुस्तकालयाध्यक्ष आदेश निर्गत होने के 15 दिनों के अंदर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकेंगे। राज्य स्थापना समिति द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में लिए गए निर्णय से व्यथित कोई पुस्तकालयाध्यक्ष आदेश निर्गत होने की तिथि के 15 दिनों के अन्दर सचिव, शिक्षा विभाग के समक्ष अपील दायर कर सकेगा।

(ii) शिकायत केवल तथ्यात्मक/प्रक्रियात्मक त्रुटियों (सेवा अवधि, दिव्यांगता अंक, गलत विवरण) तक सीमित होगी। वांछित विद्यालय न मिलना अपील का वैध आधार नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19/8/26

(राजीव रौशन)
सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–11(नि०)/वि०–56/2026 921 पटना, दिनांक 20-8-2026

प्रतिलिपि:–मुख्य सचिव, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव, बिहार/सभी सचिव, बिहार/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी निदेशक, पंचायतीराज विभाग/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, पंचायतीराज विभाग के आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी उप विकास आयुक्त/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी (जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय)/सभी जिला पंचायतीराज पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/8/26

सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–11(नि०)/वि०–56/2026 921 पटना, दिनांक 20-8-2026

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के

अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी 3000 (तीन हजार) प्रतियाँ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार को उपलब्ध करायी जाए।

19/8/26

सचिव,

शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–11(नि०)/वि०–56/2026 921 पटना, दिनांक 20-8-2026

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर उक्त नियमावली की प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/8/26

सचिव,

शिक्षा विभाग।